न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 03/2014

उनवान

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. शंकरजी सुथार, निवासी अदवास, तहसील सराडा।
2. श्री नरेश पिता शंकरी सुथार निवासी अदवास तहसील सराडा।
3. श्रीमती सुरजबाई पुत्री स्व. शंकरजी सुथार एवं पति श्री भगवतीलालजी सुथा निवासी करावली तह. सलूम्बर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कमला पिता धुलाजी सुथार निवासी अदवास तहसील सराडा।
2. श्रीमान तहसीलदार/उपपंजीयक महोदय, सराडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 05.12.2019

उपस्थितिः– श्री भीमराज पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए एवं आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा अदवास पटवार हल्का अदवास तहसील सराडा आराजी नं. साबिक 1678, 1680, 3131, 3132, 4026, 4034, 4042/2, 4647 कुल किता 08 रकबा 02 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण के परदादा स्व. पेमा पिता मनरूपाजी के खाते में दर्ज थी, उनके कोई पुत्र सन्तान नहीं थी, इसलिए पेमजी ने अपने भाई डूंगरी के पुत्र धुला के बडे बेटे खेमा को गोद लिया, पेमजी का निधन 07 वर्ष पूर्व हुआ। प्रार्थीगण के दादा

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

खेमाजी अपने दतक पिता पेमजी के निधन के 10 वर्ष बाद फौत हो गये। दिनांक 19.03.1966 को ग्राम पंचायत अदवास ने पेमजी पिता मनरूपा का विरासत इन्तकाल फैसल किया तब पेमजी का दतक पुत्र खेमा मर चुका था। खेमा का नाबालिग पुत्र शंकर झाडोल कालू सुथार के नाते चली गई एवं प्रार्थीगण के पिता की भुआ केशीबाई ने की।इस दरियान प्रार्थीगण के पिता की सभी 5 बहनें श्रीमती बगती बाई, श्रीमती गेबी बाई, श्रीमती कुरीबाई, श्रीमती मोतीबाई, श्रीमती केशीबाई को सूचना दिये बिना विपक्षी ने उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा अपने खाते करा लिया। ग्राम पंचायत अदवास ने किसी हितकारी को सूचना दिये बिना चुपचाप इन्तकाल 1/2 हिस्सा विपक्षी ने अपने नाम गलत तरीके से करा लिया है, जिस पर विपक्षी को कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त कृषिभूमि का प्रार्थी एकमात्र खातेदार, काश्तकार है। आराजी नं. हाल 6239 रकबा 0.05, 6241 रकबा 0.07, 6296 रकबा 0.08, 6297 रकबा 0.07, 6321 रकबा 0.02, 6338 रकबा 0.01, 6339 रकबा 0.03, 6387 रकबा 0.12, 7403 रकबा 0.04 कुल किता 9 रकबा 0.49 हेक्टेयर में विपक्षी का कोई हिस्सा, आधिपत्य नहीं है। विपक्षी ने इन्तकाल नम्बर 499 फैसल तारीख 19.03.1966 के द्वारा विपक्षी के नाम आधा हिस्सा विरासत का गलत ग्राम पंचायत अदवास से स्वीकृत कराया है। विपक्षी को प्रार्थीगण द्वारा यह वाद पेश करने की जानकारी हो जाने के बाद विपक्षी ने प्रार्थीगण को दिनांक 26.01.2014 को धमकी दी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि को बर्बाद करने अन्य को बेचान कर देगा। इसलिए प्रार्थीगण ने मजबूर होकर विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि असलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आराजी नं. हाल 6239 रकबा 0.05, 6241 रकबा 0.07, 6296 रकबा 0.08, 6297 रकबा 0.07, 6321 रकबा 0.02, 6338 रकबा 0.01, 6339 रकबा 0.03, 6387 रकबा 0.12, 7403 रकबा 0.04 कुल किता 9 रकबा 0.49 हेक्टेयर व वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें एवं खुर्द बुर्द ना करें किसी प्रकार का हस्तान्तरण ना करें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 01.12.2014 को पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

सुना जाकर विवादित आराजी पर विपक्षीगण को अग्रीम आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा से भूमि पर दखलंदाजी नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। नियत पेशी दिनांक 10.01.2018 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। नियत पेशी दिनांक 05.12.2019 को अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्राईमाफेसी केस, सुबधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.12.2014 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा ग्राम अदवास पटवार हल्का अदवास तहसील सराडा आराजी नं. आराजी नं. हाल 6239 रकबा 0.05, 6241 रकबा 0.07, 6296 रकबा 0.08, 6297 रकबा 0.07, 6321 रकबा 0.02, 6338 रकबा 0.01, 6339 रकबा 0.03, 6387 रकबा 0.12, 7403 रकबा 0.04 कुल किता 9 रकबा 0.49 हेक्टेयर में मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा (उदयपुर) राज.

Scanned by CamScanner